19 6/24 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी श्री विजयराज चौधरी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 5 से 7 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 के अधिवक्ता श्री लोकेन्द्र सिंह मेडतिया उपस्थित। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने से CPC के प्रावधानों अनुसार जवाब अवसर बंद कर बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हैं कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम सेवाडी के खसरा नं. 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, व 1869 कुल खसरें 7 व कुल क्षेत्रफल 4.0000 हेक्टेयर प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 1 से 12 के संयुक्त सहखातेदारी की भूमि है। अविभाजित संयुक्त सह खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सह खातेदार का इंच-इंच भूमि पर काश्त व कब्जा माना जाता है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

के कब्जे काश्त की भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा दखलंदाजी करने का आरोप लगाते हुए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई है। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किए जाने बाबत विधि के प्रावधानों में यह स्पष्ट रूप से सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि एक सह खातेदार के विरुद्ध दूसरा सह खातेदार अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त नही कर सकता है। हस्तगत प्रकरण में यह स्वीकार्य तथ्य है कि प्रार्थी सं. 1 जीवराज की मृत्यु होने के बावजूद मृतक के का.मु. को रिकार्ड पर लिए जाने का आवेदन भी प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं ① प्रथम दृष्ट्या मामला बनना ② सुविधा का संतुलन ③ अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसोटी पर प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खरा नही उतरने से प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, व 1868. कुल क्षेत्रफल 4.0000 हेक्टेअर के संबंध में उक्त प्रार्थना पत्र धारा 212 RTD खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली